भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-15
सोमवार, 04 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

बेरोजगार युवाओं की संख्या में वृद्धि

15. श्री अशोक महादेवराव नेतेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किस स्तर तक रोजगार का सृजन किया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा बेरोजगार युवाओं को दी गई नौकरियों/रोजगार की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देने/रोजगार सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ख): श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के उपलब्ध परिणामों के अनुसार देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु अनुमानित बेरोजगारी दर 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 में क्रमशः 4.0%, 3.4% तथा 3.7% थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ग): सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं की प्रगति नीचे दी गई हैः

सृजित रोजगार				
योजनाएं/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (लाख में)	3.23	4.08	3.87	2.85 (30-11-2018 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	235.14	235.64	234.26	163.22 (30-11-2018 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	1.09	1.48	0.76	0.96 (03-12-2018 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत नियोजन (लाख में)	0.34	1.52	1.15	0.95 (05-12-2018 तक)

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित रोजगार चाहने वालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-।। पर दी गई है।

(ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

अनुबंध- I

लोक सभा के दिनांक 04.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार बेरोजगारी दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		2012-13	2013-14	2015-16
1	आंध्र प्रदेश	2.3	2.9	3.5
2	अरुणाचल प्रदेश	10.2	6.7	3.9
3	असम	4.3	2.9	4.0
4	बिहार	5.8	5.6	4.4
5	छत्तीसगढ़	1.3	2.1	1.2
6	दिल्ली	5.3	4.4	3.1
7	गोवा	9.9	9.6	9.0
8	गुजरात	2.3	0.8	0.6
9	हरियाणा	4.3	2.9	3.3
10	हिमाचल प्रदेश	2.8	1.8	10.2
11	जम्मू और कश्मीर	8.2	8.2	6.6
12	झारखंड	5.9	1.8	2.2
13	कर्नाटक	1.8	1.7	1.4
14	केरल	9.6	9.3	10.6
15	मध्य प्रदेश	1.8	2.3	3.0
16	महाराष्ट्र	3.2	2.2	1.5
17	मणिपुर	2.2	3.4	3.4
18	मेघालय	3.5	2.6	4.0
19	मिजोरम	2.2	2.0	1.5
20	नागालैंड	6.2	6.7	5.6
21	ओडिशा	5.1	4.3	3.8
22	पंजाब	4.7	5.4	5.8
23	राजस्थान	2.3	3.1	2.5
24	सिक्किम	12.2	7.1	8.9
25	तमिलनाडु	3.6	3.3	3.8
26	तेलंगाना	0.0	3.1	2.7
27	त्रिपुरा	8.4	6.2	10.0
28	उत्तराखंड	4.5	5.5	6.1
29	उत्तर प्रदेश	4.9	4.0	5.8
30	पश्चिम बंगाल	5.9	4.2	3.6
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	9.8	13.0	12.0
32	चंडीगढ़	5.6	2.8	3.4
33	दादरा और नगर हवेली	1.2	4.6	2.7
34	दमन और दीव	1.2	6.6	0.3
35	लक्षद्वीप	10.2	10.5	4.3
36	पुडुचेरी	10.1	8.8	4.8
	अखिल भारत	4.0	3.4	3.7

स्रोत: रोजगार-बेरोजगारी, श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 04.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नियोजन संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नियोजन (हजार में)		
		2013	2014	2015#
1	आंध्र प्रदेश	0.6	0.4	0.2
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0
3	असम	0.5	1.1	0.9
4	बिहार	2.2	0.1	1.1
5	छत्तीसगढ़	0.5	0.9	3.2
6	दिल्ली	0.1	0.2	0.2
7	गोवा	0.9	2.1	2.9
8	गुजरात	271.6	290.8	336.7
9	हरियाणा	0.7	0.2	0.3
10	हिमाचल प्रदेश	1.9	2.3	1.1
11	जम्मू और कश्मीर	0.1	0.4	0.1
12	झारखंड	3.4	1.1	2.9
13	कर्नाटक	3.9	2.1	0.8
14	केरल	7.9	8.0	8.2
15	मध्य प्रदेश	2.7	0.2	0.1
16	महाराष्ट्र	18.6	9.5	22.9
17	मणिपुर	0.0	0.0	0.0
18	मेघालय	0.0	0.0	0.1
19	मिजोरम	0.1	0.1	0.0
20	नगालैंड	0.0	0.0	0.0
21	ओडिशा	1.4	0.7	1.3
22	पंजाब	2.5	2.4	1.7
23	राजस्थान	0.3	0.4	0.4
24	सिक्किम *	-	-	-
25	तमिलनाडु	20.9	8.8	7.7
26	तेलंगाना	-	-	0.5
27	त्रिपुरा	0.4	2.4	0.4
28	उत्तराखंड	0.6	0.6	0.2
29	उत्तर प्रदेश	4.0	1.3	0.4
30	पश्चिम बंगाल	1.4	1.5	0.5
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.1	0.1	0.1
32	चंडीगढ़	0.1	0.1	0.1
33	दादरा एवं नगर हवेली	0.0	0.0	0.0
34	दमन और दीव	0.0	0.0	0.0
35	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0
36	पुडुचेरी	1.2	0.3	0.1
	कुल	348.5	338.5	395.0

नोट: * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है; # अनंतिम;

हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल ना खाएं।